प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 32/2021)

तत्काल जारी करने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 16 जून, 2021 – ट्राई ने मार्च 2017 में प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए 'नया विनियामक फ्रेमवर्क' जारी किया था। नया फ्रेमवर्क 29 दिसंबर 2018 से लागू हुआ था। टेलीविजन एवं प्रसारण क्षेत्र के लिए ट्राई के नए विनियम/आदेश उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के टेलीविजन चैनल चुनने की आजादी देते हैं।

2. पारदर्शिता एवं उपभोक्ताओं का संरक्षण ट्राई के महत्वपूर्ण अधिदेश हैं। प्रसारण सेवाओं हेतु नया टैरिफ आदेश जारी करने के बाद, यह देखा गया था कि उपभोक्ताओं को अपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के वेब पोर्टल/ऐप्स पर अपनी पसंद के चैनल/बुके चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्राधिकण ने 25.06.2020 को टीवी चैनल सलेक्टर ऐप शुरू किया था।

3. टीवी चैनल सलेक्टर ऐप एपीआई के जरिये संबंधित डीपीओ के प्लेटफॉर्म से डाटा प्राप्त करने के लिए टेलीविजन उपोक्ताओं को भरोसेमंद, दमदार और पारदर्शी प्रणाली मुहैया कराता है। उपभोक्ता का सत्यापन उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) पर ओटीपी भेजकर किया जाता है। अगर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर डीपीओ के पास पंजीकृत नहीं है तो उपभोक्ता अपनी टीवी स्क्रीन पर ओटीपी प्राप्त करेगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

4. ट्राई ने अब उन उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनल सलेक्टर पोर्टल भी विकसित किया है, जिनके पास अपना स्मार्ट फोन नहीं है या जो वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। ऐप और पोर्टल, दोनों की महत्वपूर्ण विशेषता सब्सक्रिप्शन को डीटीएच/केबल ऑपरेटर को भेजने से पहले, सब्सक्रिप्शन को अनुकूल करना है, जिससे कि उपभोक्ताओं को अपने पैसे का अधिकतम मूल्य मिल सके। पोर्टल में उपभोक्ताओं के लिए डाउनलोड सुविधा सहित, ऐप की सभी महत्वपूर्ण खूबियां उपलब्ध हैं:

क. अपने सब्सक्रिप्शन की जांच करना।

ख. अपने डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी चैनलों एवं बुके को देखना।

ग. अपने पंसद के चैनल चुनना और अनचाहे चैनलों को हटाना।

घ. पूर्ण समाधान प्राप्त करना; उसी मूल्य या कम मूल्य पर उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए चैनलों/बुके का सर्वश्रेष्ठ संयोजन प्राप्त करना।

ङ. लागू एनसीएफ(नेटवर्क क्षमता शुल्क) में चैनल शामिल करने की सुविधा।

च. उपयोगकर्ताओं को वर्तमान सब्सक्रिप्शन में बदलाव करने की अनुमति देना।

छ. अपने सब्सक्रिप्शन अनुरोध की स्थिति की त्वरित जांच करना।

ज. वर्तमान सब्सक्रिप्शन, प्रस्तावों को डाउनलोड और प्रिंट करना तथा सब्सक्रिप्शन अनुरोध तय करना।

5. उपयोगकर्ता पोर्टल पर Issue/Feedback मेन्यू में उपलब्ध "Feedback" पर क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं। चैनल सलेक्टर ऐप और पोर्टल, दोनों वर्तमान में 16 डीटीएच ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ/केबल ऑपरेटर) के पास कियाशील हैं। हालांकि, उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके सिस्टम इस प्लेटफॉर्म के साथ एपीआई के माध्यम से कम्युनिकेट करने में समर्थ हैं।

6. किसी अन्य जानकारी के लिए, श्री संजीव बांज़ल, सलाहकार (आईटी एवं सीए), भादूविप्रा से टेलीफोन 011–23210990 या ईमेल आईडीः advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

राजीव सिन्हा
16/06/2021

(राजीव सिन्हा)
प्रभारी सचिव, ट्राई